

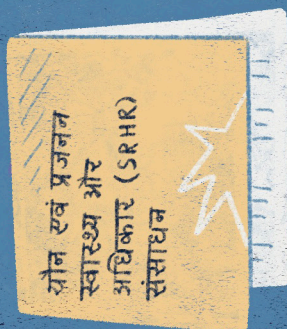
(ट्रांस)फॉर्मिंग स्पेसेज़:

# क्वीयर लोगों की शिक्षा तक पहुँच का विस्तार

सुरक्षित  
एवं सुलभ  
भावास



पुष्टि-आधारित  
मानसिक  
स्वास्थ्य पद्धति



संती-रैगिंग  
समिति  
संवेदनशील

यह भेदभाव-  
मुक्त क्षेत्र है



## द वाई पी फाउंडेशन के बारे में:

द वाई पी फाउंडेशन एक युवा-नेतृत्व और युवा-केंद्रित संस्था है, जो स्वास्थ्य समानता, जेंडर न्याय, यौनिकता अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर युवाओं के नारीवादी और अधिकार-आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

**YP** the yp foundation  
feminist • intersectional • rights-based

🌐 theypfoundation.org

✉ info@theypfoundation.org

📷 theypfoundation

## लाउड एंड क्वीयर (LAQ) प्रोग्राम के बारे में:

लाउड एंड क्वीयर, द वाई पी फाउंडेशन की क्वीयर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों तथा विविधता पर आधारित एक पहल है। इस पहल के माध्यम से हम संसाधन, मंच और नेतृत्व क्षमताएं विकसित करते हैं, ताकि स्वास्थ्य, यौनिकता, हिंसा और भेदभाव की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया जा सके और LGBTQIA+ व्यक्तियों के जीवन और अनुभवों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

## इस शृंखला की दूसरी किताबें देखें:



(ट्रांस)फॉर्मिंग स्पेसेज़:

# क्वीयर लोगों की शिक्षा तक पहुँच का विस्तार

## श्रेय

द वाई पी फाउंडेशन उन सभी युवाओं का आभारी है, जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जिन्होंने अपने अमूल्य दृष्टिकोण और अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं।

**विचार, शोध और लेखन:** जयन (he/him), नयनश्री हेमलानी (she/they), और इवान जैन (he/him)

**युवा नेताओं द्वारा ज़मीनी आंकलन (ग्राउंड असेसमेंट):** अदिति रावत (she/her), अनामिका पटेल (she/they), अनुराग (he/him), दिया चौधरी (she/her), हेतवी (she/her), ज्योति मुहाल (she/they), निशी (she/they), श्रेया (she/her), और सौम्या (they/them)

**संपादन, डिज़ाइन और चित्रण:** मृणालिनी गोदारा (she/they)

## कॉपीराइट वक्तव्य

यह प्रकाशन द वाई पी फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। इसके किसी भी पुनः उपयोग या अनुकूलन के लिए मूल प्रकाशन को उचित श्रेय देना आवश्यक है।

**प्रकाशित:** जुलाई 2025

## आभार

यह संसाधन उन सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और विश्वास का प्रमाण है, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे: हमारे यूथ लीडर्स, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और वे सभी प्रतिभागी जिन्होंने आवश्यकता आंकलन (नीड्स असेसमेंट) पूरा करने में हमारी मदद की (जिसने इस काम की नींव रखी) और परामर्श (कॉन्सल्टेशन) प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से आकार दिया। उनकी उत्साही भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया कि यह काम भारत में क्वीयर और ट्रांसजेंडर समुदाय के सबसे हाशिये पर मौजूद लोगों की आवाज़ों को सामने ला पाए। उनके प्रेम और प्रतिबद्धता से ही इस संसाधन को अर्थ और जीवन मिला है।

हम अपने सलाहकारों: अंकना डे, डॉ. हरिकीर्थन राघुराम, गौतम रामचंद्र, मिहिर सैमसन, राजीव आनंद कुशवाह और विहान वी, के अटूट सहयोग और विश्वास के लिए जितना धन्यवाद दें, कम है। उनके प्रोत्साहन, विचारों और आलोचनात्मक सोच ने हमें इन संकेतकों (इंडिकेटर्स) को समग्र रूप से विकसित करने में मदद की। उनके अमूल्य समय और सुझावों के बिना, इन संकेतकों को आपके सामने रखने का आत्मविश्वास जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता।

हम **Expanding Queer People's Access to Leadership (EQUAL) 2.0, 2025** के सभी यूथ लीडर्स-अदिति रावत, अनामिका पटेल, अनुराग, दिया चौधरी, हेतावी, ज्योति मुहाल, निशी, श्रेया और सौम्या का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने जयपुर, लखनऊ और वाराणसी में 47 से अधिक जगहों और संस्थानों का दौरा किया, उन्हें विभिन्न सकारात्मक संकेतकों (अफर्मेटिव इंडिकेटर्स) के आधार पर आंका और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। उनकी मेहनत और निरंतर प्रयासों के कारण ही हम ज़मीनी अनुभवों और अवलोकनों को इस संसाधन में शामिल कर पाए। हम 2022-2025 के बीच जुड़े सभी यूथ लीडर्स और टीम का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस काम की नींव रखी। हम डॉ. कोलिका मित्रा के भी आभारी हैं, जिन्होंने मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में हमारा साथ दिया और इस प्रक्रिया में हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। वाराणसी में हमारे काम को उत्साह और एकजुटता के साथ समर्थन देने के लिए हम नीती का धन्यवाद करते हैं। कोलकाता में इन संकेतकों पर समुदाय के साथ परामर्श (कम्युनिटी कॉन्सल्टेशन) आयोजित करने में सहयोग देने के लिए *Sappho for Equality* की पूरी टीम का विशेष धन्यवाद। हम उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस परामर्श सभा में भाग लिया और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, उनके बिना यह काम संभव नहीं था।

हमारी डिज़ाइनर मृणालिनी गोदारा का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने वॉइस नोट्स से लेकर ईमेल और फीडबैक लेने तक हर स्तर पर हमारे साथ काम किया और यह सुनिश्चित किया कि यह संसाधन सुंदर दिखे।

हम द वाई पी फाउंडेशन की पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं, खासकर उस टीम का जिसने क्वीयर और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर इस काम को आगे बढ़ाया, ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर स्थान पहले से ही सिमट रहे हैं। हम *Astraea Lesbian Foundation for Justice* का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया।

इन संकेतकों को लागू करना सिर्फ औपचारिक पालन तक सीमित नहीं है; यह वास्तविक समानता और समता को बढ़ावा देने, सभी की खुशहाली (वेलबीइंग) को बेहतर बनाने, और उस सामूहिक क्षमता को दिशा देने की बात है जो तब उभरती है जब हर आवाज़ को महत्व दिया जाता है। हम सभी हितधारकों से आग्रह करते हैं कि वे इन सुझावों को अपनाएं और हमारे सामाजिक स्थानों को ऐसे समावेशी और सशक्त स्थानों में बदलें, जहाँ विविध पहचान वाले लोग सिर्फ मौजूद न रहें, बल्कि फलें-फूलें भी। हमारी यह सामूहिक प्रतिबद्धता निश्चित रूप से हमारे समुदायों को मज़बूत बनाएगी और समाज को समृद्ध करेगी।

## प्रभलीन और ज़यन



## 01. समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कुछ जेंडर-निष्पक्ष शौचालय (जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम) सुनिश्चित करें, जिनका उपयोग सभी लोग कर सकें, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हों।

**विस्तार से अर्थ:** ट्रांसजेंडर और जेंडर-नॉन-कन्फॉर्मिंग व्यक्तियों को जेंडर-आधारित (पुरुष/महिला) शौचालयों का उपयोग करते समय अक्सर तनाव, चिंता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। समस्त-जेंडर (ऑल-जेंडर) और जेंडर-निष्पक्ष (जेंडर-न्यूट्रल) शौचालयों तक पहुँच प्रदान करने से इस बोझ को काफी हद तक कम या समाप्त किया जा सकता है। ये शौचालय सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए, और हर व्यक्ति को बिना किसी डर या रोक-टोक के अपनी जेंडर पहचान और व्यक्तिगत सहजता के अनुसार शौचालय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन स्थानों को सभी के लिए आसानी से उपयोगी बनाने के लिए समावेशी संकतों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें ब्रेल और स्पष्ट दिखाई और समझ आने वाले संकेत शामिल हों।

**संदर्भ:** सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6 भी सभी के लिए स्वच्छता और जल की उपलब्धता तथा सतत प्रबंधन पर ज़ोर देता है।



## 02. सभी जेंडर पहचान वाले लोगों के लिए माहवारी उत्पादों की उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करें।

**विस्तार से अर्थ:** आमतौर पर सैनिटरी नैपकिन या टैम्पोन वेंडिंग मशीनें केवल महिलाओं के शौचालयों में होती हैं, जबकि माहवारी का अनुभव करने वाले सभी लोग खुद को महिला के रूप में नहीं पहचानते। ट्रांसजेंडर पुरुष, नॉन-बाइनरी व्यक्ति और अन्य जेंडर पहचान वाले लोगों को भी इन उत्पादों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक ट्रांसजेंडर पुरुष जो माहवारी से गुजरते हैं, यदि उन्हें ऐसे पुरुष शौचालय का उपयोग करना पड़े जहाँ ये उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए गरिमा और सहजता के साथ अपनी ज़रूरतों को संभालना कठिन हो सकता है।

इसलिए, समान और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए माहवारी से जुड़े उत्पादों के साथ-साथ उचित सैनिटरी कचरा निपटान की व्यवस्था सभी शौचालयों और चिकित्सा कक्षों में होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जेंडर के लिए निर्धारित हों।

### 03. भौतिक ढाँचों (इनफ्रास्ट्रक्चर) में सुलभता को मज़बूत करें ताकि विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

**विस्तार से अर्थ:** शारीरिक रूप से पहुँच और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी, विशेषकर विकलांगता के साथ जी रहे लोग, गरिमा के साथ पूर्ण रूप से भागीदारी कर सकें।

पहुँच की सुविधा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कभी भी किसी को स्थायी, अस्थायी या किसी खास स्थिति से जुड़ी विकलांगता हो सकती है जैसे - चोट, सर्जरी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया या शरीर का कोई अंग टूटने से भी चलने-फिरने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसलिए इनफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वह सभी के लिए सुलभ हो।

इसके अतिरिक्त, सभी विकलांगताएं दिखाई नहीं देतीं। दीर्घकालिक बीमारियाँ, न्यूरोडाइवर्जेंस और अन्य अदृश्य विकलांगताएं सीखने, काम करने या साझा स्थानों में सहज रूप से आने-जाने को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाना ज़रूरी है जो विकलांगताओं के विविध अनुभवों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान करें।



### 04. सभी छात्रों के लिए सुलभ और भेदभाव-मुक्त आवास सुविधाएं सुनिश्चित करें।

**विस्तार से अर्थ:** यदि आपका संस्थान आवास की सुविधा प्रदान करता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर छात्र, चाहे उसकी जेंडर पहचान कुछ भी हो, अपने लिए सबसे सुरक्षित और सहज हॉस्टल या आवासीय स्थान चुन सके। इसमें महिला, पुरुष या जेंडर-न्यूट्रल आवास का विकल्प शामिल हो सकता है।

जेंडर-न्यूट्रल या को-एड आवास का विकल्प अधिक समावेशी और सम्मानजनक वातावरण बनाने में मदद कर सकता है, जहाँ सभी छात्र स्वयं को सुरक्षित, स्वीकार्य और समर्थित महसूस करें। यह कदम ट्रांसजेंडर और क्वीयर छात्रों को, जिनकी जेंडर अभिव्यक्तियाँ और पहचान अलग-अलग हो सकती हैं, बेहतर तरीके से अपने वातावरण में सहज होने में भी सहायता करेगा।

इसी तरह, फील्ड ट्रिप्स या कैम्पस के बाहर होने वाली गतिविधियों के दौरान यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं में भी LGBTQIA+ छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, लंबी बस यात्रा के दौरान क्वीयर या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रास्ते में शौचालय इस्तेमाल करने में असुरक्षा महसूस हो सकती है। जहाँ संभव हो, वहाँ वैकल्पिक और सुरक्षित व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए।



## 05. गुमनाम छात्र फीडबैक प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दें।

**विस्तार से अर्थ:** शैक्षणिक संस्थानों में अक्सर छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद की कमी होती है। ऐसे में गुमनाम फीडबैक प्रणालियाँ लोगों को अपने अनुभव, सुझाव और चिंताएं अधिक खुलकर और ईमानदारी से साझा करने का अवसर देती हैं, विशेषकर संवेदनशील मुद्दों पर। यदि इन प्रतिक्रियाओं और सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाए और उन पर कार्यवाही की जाए, तो वे विश्वास बनाने, संस्थागत प्रक्रियाओं को मज़बूत करने और अधिक उत्तरदायी वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।



## 06. नियमित जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाओं के माध्यम से अधिक सुरक्षित और समावेशी कैंपस वातावरण विकसित करें।

**विस्तार से अर्थ:** नियमित जेंडर और यौनिकता संवेदनशीलता कार्यशालाएं एक समावेशी, सहयोगपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, विशेषकर क्वीयर और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए। इन कार्यशालाओं में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षक, प्रबंधन और अन्य कर्मचारी भी शामिल होने चाहिए ताकि सहयोगिता (एलायशिप) की संस्कृति विकसित हो सके।

संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिसजेंडरिंग, डेडनेमिंग और अन्य रोज़मर्रा की ऐसी प्रथाओं को रोकने में मदद करता है जो ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी छात्रों के लिए तनाव या जेंडर डिस्फोरिया का कारण बन सकती हैं। इससे उन्हें सही-गलत ठहराए जाने या किसी डर के बिना अपनी पढ़ाई और कैंपस जीवन में सार्थक भागीदारी करने के लिए आवश्यक सुरक्षित स्थान मिल पाता है।

### स्रोत:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की रिपोर्ट सक्षम कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय और जेंडर सेंसिटाइजेशन (जेंडर संवेदनशीलता) के कार्यक्रम।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जो शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण और समावेशी पाठ्यक्रम बदलावों की आवश्यकता पर बल देता है।

## 07. सुनिश्चित करें कि कैंपस की शिकायत और निवारण समितियाँ समावेशी और अंतरसंबंधीय (इंटरसेक्शनल) प्रतिनिधित्व को दर्शाएं।

**विस्तार से अर्थ:** LGBTQIA+ समुदायों से आने वाले छात्रों के साथ-साथ जाति, धर्म, विकलांगता और वर्ग के आधार पर हाशिये के छात्र भी शैक्षणिक संस्थानों में उत्पीड़न, अनुचित टिप्पणियों और बहिष्कार का सामना कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी चिंताओं को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुना और संबोधित किया जाए, आवश्यक है कि आंतरिक समिति (IC - Internal Committee) और शिकायत निवारण सेल में LGBTQIA+ व्यक्तियों तथा अन्य कम-प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसा प्रतिनिधित्व इन समितियों में विश्वास बढ़ाने और अधिक समानुभूति एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। साथ ही, इन समितियों के सदस्यों को जेंडर और यौनिकता पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे शिकायतकर्ताओं के जीवन अनुभवों को बेहतर ढंग से समझ सकें और निष्पक्षता तथा संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दे सकें।



स्रोत:

- यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013 के तहत, दस से ज़्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) बनाना ज़रूरी है। UGC की गाइडलाइंस और राष्ट्रीय सलाहें भी जेंडर-आधारित उत्पीड़न से निपटने के लिए ट्रेनिंग और संरचनात्मक सुरक्षा के महत्व पर ज़ोर देती हैं, खासकर कमज़ोर या हाशिए पर रहने वाले समूहों के छात्रों के लिए।
- यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमन, 2015 पढ़िए।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सलाह पढ़िए।

## 08. रैगिंग-विरोधी (एंटी रैगिंग) और डराने-धमकाने विरोधी (एंटी बुलिंग) नीतियों को अधिक समावेशी बनाएं।

**विस्तार से अर्थ:** LGBTQIA+ छात्र, साथ ही अन्य हाशिये पर स्थित समुदायों से आने वाले छात्र, कैंपस में बुलिंग, रैगिंग और बहिष्कार का अधिक सामना कर सकते हैं। इसलिए, मौजूदा एंटी-रैगिंग और एंटी-बुलिंग सेलों को इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए अपने काम में सार्थक समावेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह निम्न तरीकों से किया जा सकता है:

- साझा स्थानों पर समावेशी साइनेज लगाना, जो स्पष्ट रूप से बुलिंग और उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहनशीलता का संदेश दें।
- छात्रों और कर्मचारियों के लिए नियमित संवेदनशीलता और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना [बिन्दु 6 देखें]।
- समितियों और सेल्स में विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना [बिन्दु 7 देखें]।

**स्रोत:** भारत में UGC द्वारा 2016 में एंटी-रैगिंग नियमों में किए गए संशोधन रैगिंग की परिभाषा का विस्तार करते हैं, जिसमें किसी छात्र की सामाजिक पहचान, जैसे रंग, नस्ल, धर्म, जाति, जातीयता, जेंडर (जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं), यौनिकता, शारीरिक बनावट, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय पहचान, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि, के आधार पर होने वाले शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, बुलिंग और बहिष्कार को भी शामिल किया गया है।



काउंसलर का कक्ष सभी के लिए!

## 09. कैंपस में क्वीयर और ट्रांसजेंडर-सकारात्मक (अफर्मेटिव) मानसिक स्वास्थ्य काउन्सलरों तक पहुँच सुनिश्चित करें।

**विस्तार से अर्थ:** LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए समावेशी और सहयोगपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें सामाजिक दोषारोपण (स्टिग्मा), भेदभाव और परिवार या संस्थानों से सीमित सहयोग जैसी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सेवाओं को निःशुल्क और पूर्ण गोपनीयता के साथ उपलब्ध कराना क्वीयर और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ज़रूरत के समय सहायता लेना अधिक सहज बना सकता है। इससे न केवल उनके व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और सलामती को सहयोग मिलेगा, बल्कि उनके सामाजिक और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

**स्रोत:** इंडिया मेंटल हेल्थ ऑब्ज़र्वेटरी द्वारा पुणे में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर सर्वेक्षण पढ़ें



## 10. कैंपस में LGBTQIA+ सेल की स्थापना और उसे बनाए रखने में सहयोग दें।

**विस्तार से अर्थ:** औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त और समर्थित LGBTQIA+ सेल, कैंपस समुदाय - जिसमें छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं - के लिए अधिक समावेशी और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विश्वास और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस सेल में स्वयं को LGBTQIA+ के रूप में पहचानने वाले छात्र और कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हों, और उनका प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक (tokenistic) न हो। इसमें कैंपस स्तर के निर्णयों में भागीदारी, नीतियों (जैसे एंटी-बुलिंग, आवास और सुविधाओं तक पहुँच) की समीक्षा, तथा जागरूकता अभियानों के सह-निर्माण में उनकी भूमिका शामिल होनी चाहिए। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि यह सेल महिला प्रकोष्ठ, छात्र परिषद और अन्य कैंपस निकायों के साथ मिलकर संवेदनशीलता और समावेशिता को बढ़ावा दे। पर्याप्त संसाधन और सहयोग मिलने पर यह सेल कार्यशालाएँ, फिल्म स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, जो कैंपस में सहयोगिताओं (एलायशिप), संवेदनशीलता और जागरूकता को मज़बूत करेंगे।



LGBTQIA+  
सेल:



- ☒ एंटी-बुलिंग
- ☒ आवास सुविधाएँ
- ☒ कार्यशालाएँ
- ☒ चिकित्सीय सुविधाएँ



## 11. प्रवेश फ़ॉर्म और प्रक्रियाओं को जेंडर विविधता के प्रति अधिक समावेशी बनाएं।

**विस्तार से अर्थ:** शैक्षणिक संस्थान शुरुआत से ही समावेशिता का संकेत दे सकते हैं; इसके लिए वे आवेदन फ़ॉर्म में जेंडर लिखने के लिए एक खुला विकल्प दे सकते हैं और भावी छात्रों को अपना चुना हुआ नाम और सर्वनाम (प्रोनाउन) बताने के लिए जगह दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, छात्रों को संस्थानों द्वारा उनकी स्वयं-पहचानी गई जेंडर पहचान के आधार पर आवेदन करने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही उनके आधिकारिक दस्तावेज़ अभी अपडेट न हुए हों। कई ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को अपना नाम या जेंडर मार्कर कानूनी रूप से बदलने में देरी या बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दस्तावेज़ों की बजाय स्व-पहचान को प्राथमिकता देना पहुँच, समानता और देखभाल के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

## 12. प्रशिक्षित कर्मचारियों, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार (SRHR) संसाधनों के साथ एक साझा, समावेशी मेडिकल रूम स्थापित करने पर विचार करें।

**विस्तार से अर्थ:** कैंपस में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, चाहे वह बुखार, पैनिक अटैक या आपातकालीन गर्भनिरोधक की आवश्यकता हो, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और बिना गुण-दोष निकाले उपलब्ध होनी चाहिए। जेंडर-आधारित मेडिकल सुविधाएं अक्सर विविध जेंडर पहचान और अभिव्यक्तियों वाले छात्रों और कर्मचारियों को अनजाने में अलग-थलग कर देती हैं। ऐसा साझा मेडिकल रूम, जो सभी जेंडर पहचानों वाले लोगों का स्वागत करे, कैंपस में सुरक्षा और समावेशिता की भावना को बढ़ा सकता है। यह आवश्यक है कि इन स्थानों को सभी पहचानों का सम्मान करते हुए डिज़ाइन किया जाए और वहाँ प्रशिक्षित, संवेदनशील स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हों, जो बिना किसी पूर्वाग्रह या धारणाओं के सहयोग प्रदान कर सकें।

साथ ही, इन जगहों पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों (SRHR) से जुड़े संसाधन होने चाहिए, जिनमें गर्भनिरोधक, माहवारी के दौरान स्वच्छता के उत्पाद और सुरक्षित यौन संबंध, यौन संचारित संक्रमण (STI) से बचाव और सहमति (consent) के बारे में जानकारी शामिल हो। इससे विविध जेंडर पहचान और यौनिकताओं वाले लोग आवश्यक जानकारी तक अधिक सहजता और बिना किसी डर या शर्म के पहुँच बना सकेंगे।



## 13. कैंपस के साझा स्थानों में पहुँच और समावेशिता सुनिश्चित करें।

**विस्तार से अर्थ:** कैंपस के साझा स्थान - जैसे कैंटीन, पुस्तकालय, खेल मैदान और कॉमन रूम - सामुदायिक जीवन और आपसी जुड़ाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।

इन स्थानों को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए संस्थानों को केवल जेंडर-आधारित विभाजन या सामान्य नीति-सूचनाओं से आगे बढ़कर ऐसे सुलभ स्थान विकसित करने चाहिए जो सभी के लिए उपयोगी और स्वागतपूर्ण हों। इसमें कैंटीन में विविध सांस्कृतिक और खान-पान संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन विकल्प, समावेशी पोस्टर और साइनेज, तथा न्यूरोडाइवर्जेंट या जिन्हें आवाज़ और/या सेंसरी संवेदनशीलता की समस्या है ऐसे छात्रों के लिए शांत स्थान शामिल हो सकते हैं। जब साझा स्थानों को संवेदनशीलता और समावेशी दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जाता है, तो वे सभी छात्रों के लिए अपनापन, सहजता और खुशी का अनुभव पैदा कर सकते हैं।



## 14. लचीली और जेंडर-समावेशी वर्दी की नीति अपनाएं।

**विस्तार से अर्थ:** अगर आपके संस्थान में कोई वर्दी या पोशाक (ड्रेस कोड) है, तो जेंडर की परवाह किए बिना सभी उपलब्ध विकल्पों में से चुनने की आज़ादी देने से एक ज़्यादा सम्मानजनक और सकारात्मक माहौल बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अनुमानित जेंडर के आधार पर एक निश्चित यूनिफॉर्म लागू करना चिंता और असुविधा पैदा कर सकता है, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग छात्रों के लिए। जहाँ संभव हो, अनिवार्य यूनिफॉर्म को पूरी तरह हटाने पर भी विचार करें।



## 15. सुनिश्चित करें कि सभी छात्र बिना जेंडर-आधारित प्रतिबंधों के खेल और अतिरिक्त-पाठ्यक्रम (extra-curricular) गतिविधियों में भाग ले सकें।

**विस्तार से अर्थ:** हर छात्र को, उसकी जेंडर पहचान चाहे जो भी हो, अपनी पसंद के खेल या गतिविधि में भाग लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह मान लेना कि कुछ खेल केवल लड़कों या लड़कियों के लिए “उपयुक्त” हैं, न केवल हानिकारक रूढ़ियों को मज़बूत करता है बल्कि क्वीयर, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉन-बाइनरी छात्रों को भी खेल और अन्य गतिविधियों से बाहर कर देता है।

संस्थानों को छात्रों की भागीदारी के लिए किसी प्रकार की मेडिकल या हार्मोन-आधारित शर्तें लागू या प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। इससे अधिक समावेशी और सहयोगपूर्ण कैंपस बनाने में मदद मिलेगी।

**स्रोत:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)

अधिनियम, 2019 की धारा 13 स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त संस्थान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, खेल, मनोरंजन और अवकाश गतिविधियों में बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करें। समावेशी नीतियाँ अपनाना केवल छात्रों के अधिकारों की पुष्टि नहीं करता, बल्कि आत्मविश्वास, टीमवर्क और अधिक मज़बूत कैंपस समुदाय के निर्माण में भी मदद करता है।



# शब्दावली

अगर किसी परिभाषा में कोई शब्द हाइलाइट किया गया है, तो इसका मतलब है कि वह शब्द इस शब्दावली में कहीं और समझाया गया है। ये सभी शब्द एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें साथ में पढ़ने से अलग-अलग जेंडर पहचान (gender identities) और/यौन रुझान (sexual orientations) को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

हिंदी में ऐसे और शब्द जानने के लिए इन्क्लूसिव न्यूज़रूम्स (द न्यूज़ मिनट और क्वीयर चेन्नई क्रॉनिकल्स) का संसाधन देख सकते हैं।

## एसेक्शुअल

एक व्यक्ति जिसे दूसरों के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी यौन आकर्षण महसूस नहीं होता। एसेक्शुअलिटी (asexuality) एक स्पेक्ट्रम है, कुछ एसेक्शुअल लोग रोमांटिक या भावनात्मक आकर्षण महसूस कर सकते हैं, या बहुत कम या खास परिस्थितियों में यौन आकर्षण अनुभव कर सकते हैं (इसमें ग्रेसेक्सुअल या डेमीसेक्सुअल जैसी पहचानें शामिल हो सकती हैं)।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को एसेक्शुअल के रूप में पहचान सकता है, चाहे उनका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

## इंटरसेक्स

यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें वे लोग आते हैं जिनके जैविक और शारीरिक गुण पारंपरिक 'पुरुष' या 'महिला' श्रेणियों में स्पष्ट रूप से फिट नहीं होते। इंटरसेक्स होना मानव जैविक विविधता का स्वाभाविक हिस्सा है।

यदि बच्चे के जननांग सामान्य पुरुष या महिला की परिभाषाओं में स्पष्ट रूप से फिट न हों, तो जन्म के समय उसे इंटरसेक्स के रूप में पहचाना जा सकता है। हालाँकि, इंटरसेक्स विशेषताएं हमेशा जन्म के समय दिखाई या पहचानी नहीं जातीं, कई लोगों को उनके शरीर की विविधताओं के बावजूद जन्म के समय पुरुष या महिला के रूप में दर्ज किया जाता है।

## क्वीयर

यह एक व्यापक शब्द है, जिसका इस्तेमाल लोग विभिन्न यौनिकता/यौन पहचान, जेंडर पहचान और सेक्स विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो सिसजेंडर और हेटरोनॉर्मेटिव मानकों से बाहर आती हैं।

## गे

कोई व्यक्ति जो खुद को पुरुष मानता है और यौन, भावनात्मक और/या रूमानी रूप से उन अन्य लोगों की ओर आकर्षित होता है जो खुद को पुरुष मानते हैं।

यह याद रखना ज़रूरी है कि LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को गे रूप में पहचान सकता है, चाहे उनका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

## जन्म के समय निर्धारित सेक्स

जन्म के समय निर्धारित लिंग (Sex assigned at birth) वह होता है (आमतौर पर पुरुष, महिला या इंटरसेक्स) जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय दर्ज किया जाता है, आमतौर पर बाहरी जननांगों के आधार पर।

हर व्यक्ति को जन्म के समय एक लिंग दिया जाता है, और अक्सर इसी के आधार पर उसकी जेंडर पहचान भी तय कर दी जाती है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यह तय किया गया जेंडर आगे चलकर उस व्यक्ति की जेंडर पहचान से मेल खाए।

## जेंडर

एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जिसके आधार पर लोगों को उनके शारीरिक और जैविक गुणों के अनुसार 'पुरुष' या 'महिला' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार, भूमिकाओं, दिखावट, भावनाओं और अभिव्यक्ति से जुड़ी अपेक्षाओं को भी प्रभावित करता है।

जेंडर एक स्पेक्ट्रम पर होता है, और कोई व्यक्ति खुद को पुरुष, महिला, दोनों या इनमें से कोई नहीं मान सकता है।

यह जन्म के समय निर्धारित सेक्स (sex assigned at birth) से अलग होता है और व्यक्तिगत पहचान, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है।

## जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी (GAS)

ये वो सर्जरी है जो क्वीयर या ट्रांसजेंडर लोग अपनी जेंडर पहचान को पुष्ट (affirm) करने या अपने शरीर को अपनी पहचान के अनुसार ढालने के लिए कराते हैं। हर व्यक्ति के लिए GAS करवाना ज़रूरी नहीं है, बिना सर्जरी के भी किसी की जेंडर पहचान पूरी तरह मान्य होती है।

GAS में टॉप सर्जरी, स्तन वृद्धि (ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन), चेहरे की नारीकरण सर्जरी (फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी), ऑर्किएक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी आदि शामिल होती है।

## जेंडर पहचान

यह बताती है कि कोई व्यक्ति अपने जेंडर को कैसे समझते हैं, अनुभव करते और खुद को कैसे परिभाषित करते हैं। जेंडर पहचान का संबंध ज़रूरी नहीं कि उस शरीर से हो जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, और यह जन्म के समय दिए गए जेंडर की पहचान से अलग भी हो सकती है।

हर व्यक्ति की एक जेंडर पहचान होती है (जैसे सिसजेंडर, ट्रांसजेंडर आदि), और यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम में मौजूद होती है।

## जेंडरक्वीयर

इस शब्द का उपयोग वे लोग करते हैं जिनकी जेंडर पहचान 'पुरुष' और 'महिला' की पारंपरिक द्विआधारी (binary) सीमाओं से बाहर होती है।

जेंडरक्वीयर लोग एक से अधिक जेंडर, कोई जेंडर नहीं, या बदलती/फ्लुइड जेंडर पहचान के साथ खुद को पहचान सकते हैं। कुछ जेंडरक्वीयर लोग खुद को ट्रांसजेंडर भी मानते हैं, जबकि कुछ नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे समझता और नाम देता है।

LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के अन्य शब्दों की तरह, जेंडरक्वीयर भी लचीली (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) पहचान है।

## डेडनेमिंग

किसी ट्रांसजेंडर या जेंडरक्वीयर व्यक्ति को उसके पुराने नाम (deadname) से पुकारना। डेडनेम वह नाम होता है जो जन्म के समय दिया गया था, लेकिन जिसे वह व्यक्ति अब इस्तेमाल नहीं करते या उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते।

चाहे यह जानबूझकर हो या गलती से, डेडनेमिंग एक बहुत ही तकलीफदेह और हानिकारक अनुभव हो सकता है।

## ट्रांसजेंडर व्यक्ति

एक व्यक्ति जिसकी जेंडर पहचान जन्म के समय निर्धारित जेंडर पहचान से अलग होती है।

‘ट्रांस\*’ (जिसमें एक एस्टरिस्क या तारा-चिह्न होता है) शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी इस दायरे की व्यापक और समावेशी प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें कई तरह की नॉन-सिसजेंडर पहचानें शामिल होती हैं।

## ट्रांसजेंडर पुरुष

ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म के समय महिला माना गया हो, लेकिन आगे चल कर जिनकी जेंडर पहचान एक पुरुष की हो।

## ट्रांसजेंडर महिला

एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना किया गया हो, लेकिन आगे चल कर जिनकी जेंडर पहचान एक महिला की हो।

## ट्रांसमास्कुलिन व्यक्ति

कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय पुरुष नहीं माना गया था, लेकिन जो खुद को मर्दानगी के दायरे में पहचानता और व्यक्त करता है। ट्रांसमैस्कुलिन व्यक्ति किसी भी जेंडर पहचान के साथ खुद को पहचान सकते हैं। यह एक स्वयं-परिभाषित शब्द है।

## ट्रांसफेमिनिन व्यक्ति

ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय महिला नहीं माना गया था, लेकिन जो खुद को नारीत्व (femininity) के दायरे में पहचानता और व्यक्त करता है। ट्रांसफेमिनिन व्यक्ति किसी भी जेंडर पहचान से खुद को जोड़ सकते हैं। ट्रांसफेमिनिन एक ऐसा शब्द है जिसे व्यक्ति खुद चुनते हैं, और लोग अपने अनुभवों के आधार पर इससे अलग-अलग तरह से जुड़ सकते हैं।

## नॉन-बाइनरी

ऐसा व्यक्ति जो खुद को न तो पुरुष मानता है और न ही महिला; यानी वे पारंपरिक जेंडर बाइनरी (स्त्री-पुरुष के दोहरे वर्गीकरण) के किसी भी छोर से खुद को नहीं जोड़ते। कुछ नॉन-बाइनरी लोग खुद को जेंडरक्वीयर भी मानते हैं, जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते - यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे समझता और क्या नाम देता है।

LGBTQIA+ स्पेक्ट्रम के कई शब्दों की तरह, ‘नॉन-बाइनरी’ शब्द भी लचीला है और इसे व्यक्ति खुद तय करता है।

## बाइसेक्शुअल

एक व्यक्ति जो एक से अधिक जेंडर के लोगों की ओर यौनिक, भावनात्मक और/या रोमांटिक आकर्षण महसूस करते हैं। इसमें अपने ही जेंडर के लोगों के साथ-साथ अलग जेंडर के लोगों के प्रति आकर्षण भी शामिल हो सकता है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि **LGBTQIA+** स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वह शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगे, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय खुद को बाइसेक्शुअल के रूप में पहचान सकते हैं चाहे उसका यौन अनुभव या इतिहास कुछ भी रहा हो।

## मिसजेंडरिंग

किसी व्यक्ति को ऐसे **सर्वनाम**, नाम या जेंडर से जुड़े शब्दों से संबोधित करना जो उनकी **जेंडर पहचान** से मेल नहीं खाते। चाहे यह जानबूझकर हो या गलती से, मिसजेंडरिंग एक बहुत ही तकलीफदेह और हानिकारक अनुभव हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान को नज़रअंदाज़ करता है।

## प्रोनाउन्स/ सर्वनाम

वे शब्द जिनका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति के नाम की जगह करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में she/her, he/him, या they/them। हर व्यक्ति के अपने प्रोनाउन्स होते हैं, और सही प्रोनाउन्स का इस्तेमाल करना उस व्यक्ति की **जेंडर पहचान** का सम्मान करना और स्वीकार करना है। अगर आप किसी व्यक्ति के सर्वनाम (प्रोनाउन्स) नहीं जानते तो आप हिंदी में उन्हें बहुवचन क्रिया के जरिए संबोधित कर सकते हैं। जैसे “वो व्यक्ति जो उस तरफ स्कूटर पर जा रहे हैं उनकी कमीज़ तो काफ़ी सुंदर है।”

## लेस्बियन

वह व्यक्ति जो खुद को एक महिला के रूप में पहचानते हैं और जो अन्य महिलाओं की ओर यौन, भावनात्मक और/या रोमांटिक रूप से आकर्षित होते हैं।

यह याद रखना ज़रूरी है कि **LGBTQIA+** स्पेक्ट्रम के कई शब्द लचीले (flexible) और स्वयं-परिभाषित (self-defined) होते हैं। लोग अपने लिए वही शब्द चुन सकते हैं जो उन्हें सही लगें, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय, अपने अनुभव या इतिहास की परवाह किए बिना, खुद को लेस्बियन के रूप में पहचान सकते हैं।

## LGBTQIA+

एक छत्र (अंब्रेला) शब्द है जिसमें **लेस्बियन**, **गे**, **बाइसेक्शुअल**, **ट्रांसजेंडर**, **क्वीयर**, **इंटरसेक्स**, **एसेक्शुअल** और अन्य पहचानें शामिल होती हैं। “+” यह दर्शाता है कि इसके अलावा भी कई यौन पहचानें, जेंडर पहचानें और अनुभव हैं (जैसे पैन्सेक्शुअल, नॉन-बाइनरी, जेंडरफ्लूइड आदि)। यह विविधता और पहचान के लचीलापन को दर्शाता है, और यह भी बताता है कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है। यह पहचान की विविधता और उसके बदलते, लचीले स्वभाव को दर्शाता है, और हमें याद दिलाता है कि लोगों के नए-नए तरीकों से खुद को व्यक्त करने के साथ-साथ भाषा भी लगातार विकसित होती रहती है।

## सिसजेंडर

एक व्यक्ति जिसकी जेंडर पहचान वही होती है जो जन्म के समय उसके लिये निर्धारित (assigned) की गई थी (आमतौर पर यह निर्धारित पहचानें पुरुष या महिला की होती हैं)।

## यौनिकता/ यौन पहचान

यह बताता है कि कोई व्यक्ति दूसरों की ओर यौनिक, भावनात्मक और/या रोमांटिक रूप से कैसे आकर्षित होता है।

हर व्यक्ति का एक यौनिक झुकाव होता है, कोई समान जेंडर, अलग जेंडर, एक से अधिक जेंडर, या किसी की ओर भी आकर्षित हो सकता है। यह एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होता है और इसमें गे, लेस्बियन, बाइसेक्शुअल, पैनसेक्शुअल, एसेक्शुअल, क्वीयर आदि पहचानें शामिल हो सकती हैं।

यह जेंडर पहचान से अलग होता है, जो व्यक्ति की अपनी पहचान और जेंडर के अनुभव से जुड़ा होता है।







[theypfoundation.org](https://theypfoundation.org)



[info@theypfoundation.org](mailto:info@theypfoundation.org)



[theypfoundation](https://www.instagram.com/theypfoundation)

इस टूलकिट को  
ऑनलाइन देखने और  
इसमें दिए गए क्लिक  
करने योग्य लिंक का  
उपयोग करने के लिए इस  
QR कोड को स्कैन करें:

